



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

दूरभाष क्र. 0755-2550091

प्रथम बैठक

मनरेगा अंतर्गत वित्त वर्ष 2011-12 में राशि जारी करने सबंधी एप्राईज़ ज़िल कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 27.09.11 का कार्यवाही विवरण।

--00--

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पत्र क्र. 9294 दिनांक 21.09.11 के तारतम्य में दिनांक 27.09.11 को छतरपुर, देवास, शाजापुर, अलीराजपुर, विद्विशा एवं धार के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक उपस्थित हुए। उपस्थित अधिकारियों की सूची पत्र के साथ दिकास विभाग के पत्र क्रमांक 9296 NREGSMP दित्त एवं लेखा/2011 दिनांक 21.09.11 में अंकित सदस्य उपस्थित हुए। परिणाम 02।

निम्न क्रमवार जिलों के संबंध में उनके द्वारा प्राप्तुत राशि मांग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

जिला धार

- धार जिले हारा अवगत कराया गया कि 20 करोड़ भुगतान किया जाना शेष है जिसमें 01 माह में एमआइएस इन्ट्री कर दी जाएगी।
- जिले द्वारा ऑडिट रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2011 तक मुख्यालय में जमा दर दी जाएगी।
- धार जिले द्वारा प्रशासनिक बजट के संबंध में मांग को गई। इस संबंध में परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
- धार में क्र. 1814 याचिका लंबित है। कार्यवाही तत्काल कर जिला प्रतिवेदन दें।
- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव एवं रुपए 50 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला छतरपुर

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि जनपद पंचायतों ने ग्राम पंचायतों की संख्या के मान से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति की जावे जिससे की कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ऑडिट रिपोर्ट मुख्यालय पर प्रेषित की जा चुकी है एवं ऑडिट संबंधी सॉफ्टवेयर में ऑन लाई इन्ट्री की गई है।
- भारत सरकार की शिकायत श्री पवन द्युवारा क्र. 1734, दिनांक क्र. 1792/सीएम भाँविह डी 320/सीएमएस/पीयूषी/2010 श्री विश्वास जैन को जिले के द्वारा दर्ता दिया गया है। तत्काल जिले में कार्यवाही हो एवं पालन प्रतिवेदन भेजे।

- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 25 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला अलीराजपुर

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि RES एवं अन्य ऐजेन्सियों को रूपए 04 करोड़ का भुगतान किया जाना है जो कि जिला स्तरीय बैंक खाते में उपलब्ध धन रौशि से दिया जावेगा। कार्यपालन यंत्री RES एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अवगत कराया कि 10 करोड़ का MIS 30 अक्टूबर 2011 तक कर लिया जावेगा।
- जिले द्वारा वित्तीय अंकेक्षण रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक मुख्यालय को प्रेषित कर दी जावेगी।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि जिला आदिवासी बहुल्य होने के कारण मुख्यालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी / कर्मचारी या तो कार्य पर उपस्थित दर्ज ही नहीं करते या अल्प समय पर कार्य कर कार्य छोड़ कर चले जाते हैं। अतः स्थानीय व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु प्राथमिकता दी जावे। परिषद की स्थापना शाखा को नियमानुसार आवश्यक कार्यदाही हेतु निर्देशित किया गया।
- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 15 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला देवास

- ऑडिट रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2011 तक प्रेषित कर दी जावेगी।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि 05 करोड़ का MIS एक माह में कर लिया जावेगा।
- भारत सरकार का शिकायती प्रकरण श्री कालू ग्राम छ्यन नैना सोनकछ के प्रकरण पर पालन प्रतिवेदन से तत्काल अवगत करावे। आश्वासन क्र. 156 पर तत्काल कार्यवाही से अवगत करावें।
- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 15 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला शाजापुर

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रस्ताव संबंधी जानकारी का प्रस्तुतिकरण किया गया।
- सीएम रॉनिट सी का प्रकरण 3489—सीएमएस-पौर्वी-2011 एवं याचिका क्र. 2043 एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न 6918 के प्रकरणों पर कार्यवाही लंबित है तत्काल अवगत कराएं।
- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 10 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला विदिशा

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रस्ताव संबंधी जानकारी का प्रस्तुतिकरण किया गया।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अवगत कराया कि नोबाइल बैंकिंग लागू कराये जा रही है।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 10 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

इसी के साथ निम्न निर्देश सभी जिलों को दिए गए:-

- SQM एवं ऑडिट की कण्डिकाओं का पालन जिले तत्काल सुनिश्चित कर परिषद को प्रेपित करें।
- संकल्प संबंधित कोई भी बिन्दु जिले में लंबित न रखा जाए।
- मानव दिवस में गिरावट न हो एवं योजना संनालन सफलता पूर्वक हो।
- 60 : 40 का अनुपात का संधारण हो।
- औसत मजदूरी भुगतान की स्थिति पर नियंत्रण रखें।
- ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यय पर नियमानुसार परीक्षण करें।
- ऑडिट एवं फाईनेंशियल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में समस्त आकड़े तत्काल अंकित किए जाएं। इसी प्रकार मुख्य मंत्री ग्राम सङ्कर योजना के सॉफ्टवेयर में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आकड़े अंकित करना सुनिश्चित करें।
- भविष्य में जिले अपनी मांग प्रस्ताव भेजने समय मासिक लेबर बजट के विरुद्ध कितना व्यय हुआ एवं जो प्रस्ताव है वह किस प्रकार मासिक लेबर बजट से सुसंगत है इस को भी अंकित कर स्पष्ट रूप से गणि का प्रस्ताव रखा करें। इसी के साथ ऑपरेशनल गाईड लाईन 2008 में अंकित बी-16 एवं बी-17 के प्रपत्रों का ही उपयोग दिया जाए।
- जिलों ने यह भी नोर्देशित किया गया जिन ग्राम पंचायतों में अत्याधिक वित्तीय संव्यवहार हो रहे हैं उनके संबंध में सूक्ष्म अनुश्रवण किया जाए।

आयुदत ननरेगा एवं अध्यक्ष एप्राइज़ल कमेटी द्वारा अनुमोदित।

(डॉ. राजीव सरसेना)

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

एवं सदस्य सचिव एप्राइज़ल कमेटी

भोपाल, दिनांक २४/०९/११

पृ.क्रमांक / ९४३६ / NR-18/MGNREGS-MP / 11

प्रतिलिपि -

- प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
- आयुक्त पंचायती राज सचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- संयुक्त आयुक्त (एशासन) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- सचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- सिस्टम एनालिस्ट मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला धार, छतरपुर, अलीराजपुर, देवास, शाजापुर एवं विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार, छतरपुर, अलीराजपुर, देवास, शाजापुर एवं विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

एवं सदस्य सचिव एप्राइज़ल कमेटी

परिक्षेत्र - 1

मिटिंग दिनांक 27.09.2011

| क्र. | जिले का नाम | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पद का नाम | मोबाइल नंबर | हस्ताक्षर |
|------|--------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| 1. | Chhalarpur | Bharatne Walemb | CEO ZP | 9425447060 | AB |
| 2. | Vidisha S.B. Singh | CEO ZP | 9425140227 | AB | |
| 3. | Alirajpur | Virek Singh | CEO ZP | 9425111888 | AB |
| 4. | Dewas | Arnil K. Kulk | CEO ZP | 9125112712 | AB |
| 5. | Dewas | J.P. Gaur | EE RES | 9893537801 | AB 27/9 |
| 6. | Dhar | Deepak Singh | CEO ZP | 9425802110 | AB |
| 7. | Chaitragupta | R.P. Shukla | EE RES | 9425252525 | AB |
| 8. | Guna | S.S. Misra | EO | 9425869527 | AB |
| 9. | Dewas | Akshay Kumar | ACCE | 9425043528 | AB |
| 10. | Dhar | Suraj Patel | O.E.O. | 9424800455 | AB |
| 11. | Dewas | Talish Choudhary | EO | 982534836 | AB |
| 12. | Dhar | Bheem Singh Bhandari | SDM | 9893664243 | AB |
| 13. | Dhar | DINESH PHATAK | PO | 9425045512 | AB |
| 14. | Vidisha | R.L. MEGHWAL | EE/RES | 9425087280 | AB |
| 15. | Vidisha | A. Mehta | AO | 9826575386 | AB |

मिटिंग दिनांक 27.09.2011

| क्र. | जिले का ताम | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पद का नाम | मोबाइल नंबर | हस्ताक्षर |
|------|-------------|-------------------------|---|----------------|-----------|
| 16 | लोगापुर | जी. देवि. शर्मा | काम/प्रौद्योगिकी | 94044-80633 | |
| 17 | बालापुर | प्रियंका ठाकुर | प्रौद्योगिकी | 94284-43377 | |
| 18 | लोगापुर | पी. प्रसाद ठाकुर | प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रयोगशाला | 9425356332 | |
| 19 | लोगापुर | पी. प्रसाद ठाकुर | प्रौद्योगिकी | 9425356332 | |
| 20 | देवराम | प्रौद्योगिकी विभाग | PC-MG NREGS | 94241091600 | |
| 21 | Dewas | Achintosh sharma | A.O. MGNREGA | 94249 47000 | |
| 22 | Dewas | Yogendra Mehta | PC | 98260 94919 | |

मिटिंग दिनांक 27.09.2011

परिशिष्ट 02

उपस्थित अधिकारियों की सूची

| क्र. | अधिकारी का नाम | पद |
|------|------------------------|---|
| 1 | श्री नीरज मण्डलाई | आयुक्त, मनरेगा |
| 2 | श्री घनश्याम सिंह | संयुक्त संचालक वित्त आयुक्त पंचायत राज के प्रतिनिधि |
| 3 | श्री एच.पी. शिवहरे | मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा |
| 4 | सुश्री संजना जैन | संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), मनरेगा |
| 5 | डॉ. श्री राजीव सक्सेना | संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा), मनरेगा |
| 6 | श्री प्रद्युम्न शर्मा | संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, मनरेगा |
| 7 | श्री उवेस अहमद | सिस्टम एनालिस्ट, मनरेगा |

A handwritten signature is written above the table, followed by a diagonal line and the initials 'TCS' below it.